मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-9/99/3/एक, भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय :—सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को जांच अधिकारी नियुक्त करने हेतु आयु-सीमा हटाने बाबत्.

संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1999.

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें जिसके द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पैनल में से संविदा आधार पर जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये है.

2. उक्त परिपत्र की कंडिका (3) 2 में से ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी की आयु-सीमा अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित की गयी है. पुनः विचारोपरांत उक्त आयु-सीमा समाप्त किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है. अत: अब सेवानिवृत्त अधिकारियों को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त करने/चयन करने के लिये कोई अधिकतम आयु-सीमा नहीं रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-9/99/3/एक, भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर, 1999

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर.
   निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त संगठन, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.

3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,

   सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.

4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.

   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.

8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.

9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

10. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.

11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.

हस्ता./-
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.